

पीएम स्वनिधि योजना में उल्लेखनीय कार्य हेतु मध्य प्रदेश सम्मानति

चर्चा में क्यों?

1 जून, 2023 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सहि पुरी ने नई दलिली में पीएम स्वनिधि योजना में उल्लेखनीय कार्य करने पर मध्य प्रदेश को सम्मानति कथि। अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं वकिस अवधेश शरमा ने सम्मान प्रापत कथि।

प्रमुख बदि

- गौरतलब है कपीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश देश में नंबर एक पर है।
- मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कुल 7 लाख 31 हज़ार 517 प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं। इनमें से राज्य को आवंटति लक्ष्य 6 लाख 48 हज़ार 850 के वरिद्ध 7 लाख 8 हज़ार 894 प्रकरणों में ऋण वतिरति कथि जा चुका है। योजना में प्रगति का प्रतशित 109.25 है।
- उल्लेखनीय है क केंद्रीय आवास एवं शहरी वकिस मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरीवालॉ (Street Venders) को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि' (PM SVANidhi) या 'पीएम स्वनिधि' नामक योजना की शुरुआत की गई थी।
- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन-II के एक हस्से के रूप में घोषति कथि गया था।
- इसे 1 जून, 2020 से लागू कथि गया था, ताक उन स्ट्रीट वेंडरों को उनकी आजीविका को फरि से शुरू करने के लथि कफियती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान कथि जा सके, जो कोवडि-19 लॉकडाउन के कारण प्रतकिल रूप से प्रभावति हुए हैं।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है अर्थात यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वतित पोषति योजना है, इसके नमिनलखिति उद्देश्य हैं :
 - कार्यशील पूंजी ऋण की सुवधि उपलब्ध कराना
 - नथिमति पुनर्भुगतान को प्रोत्साहति करना तथा
 - डजिटिल लेन देन हेतु पुरस्कृत करना
- इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपए तक के ऋण के लथि आवेदन कर सकते हैं। ऋण प्राप्त करने के लथि आवेदकों को कसी प्रकार की जमानत या कोलैटरल (Collateral) की आवश्यकता नहीं होती।
- इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लथि एक वर्ष का समय दथि जाता है, वकिरेता इस अवधि के दौरान मासिक कश्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकते हैं।
- साथ ही इस योजना के तहत यदलाभार्थी लथि गए ऋण पर भुगतान समय से या नरिधारति तथि से पहले करते हैं तो उन्हें 7% (वार्षिक) की ब्याज सबसडि प्रदान की जाती है, जो 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (Direct Benefit Transfer- DBT) के माध्यम से 6 माह के अंतराल पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
- यह योजना केवल उन्ही राज्यों/केंद्र शासति प्रदेशों के लाभार्थियों के लथि उपलब्ध है, जनिहोंने स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का वनियमन) अधनियम, 2014 के तहत नथिम और योजना अधसिचति की है। हालाँकि मेघालय के लाभार्थी, जसिका अपना स्टेट स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है, भाग ले सकते हैं।



PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/mp-gets-honoured-for-remarkable-work-in-pm-svanidhi-yojana>